

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु  
अपर सचिव।

सेवा में,

समादेष्टा,  
राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, आपदा प्रबंधन विभाग।

पटना-15, दिनांक- 1/2/19

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष-0004-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020004, के अंतर्गत कुल ₹ 3,66,00,000 (तीन करोड़ छियासठ लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष-2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उपशीर्ष- 0004-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स, विपत्र कोड-39-2245801020004, मांग संख्या-39 के अंतर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या -265/आ0प्र0 दिनांक 28.01.19 द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:-

उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य

लघुशीर्ष-102-विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध मांग संख्या-39, उपशीर्ष-0004-राज्य आपदा रिस्पॉस फोर्स,

(राशि रुपये में)

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल योग
1	01-वेतन	01- वेतन	35800000 (तीन करोड़ अनठावन लाख)	20000000 (दो करोड़)	55800000 (पाँच करोड़ अनठावन लाख)
		07-अन्य भत्ता	35000000 (तीन करोड़ पचास लाख)	15000000 (एक करोड़ पचास लाख)	50000000 (पाँच करोड़)
2	05 -पुरस्कार	01-पुरस्कार	50000 (पचास हजार)	0 (शून्य)	50000 (पचास हजार)
3	06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	40000 (चालीस हजार)	0 (शून्य)	40000 (चालीस हजार)
4	13-कार्यालयी व्यय	01-कार्यालय व्यय	500000 (पाँच लाख)	0 (शून्य)	500000 (पाँच लाख)
		02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1000000 (दस लाख)	1200000 (बारह लाख)	2200000 (बाईस लाख)
		04-विद्युत प्रभार	50000 (पचास हजार)	400000 (चार लाख)	450000 (चार लाख पचास हजार)
		06-वर्दी /पोशाक	3557000 (पैतीस लाख सनतावन हजार)	0 (शून्य)	3557000 (पैतीस लाख सनतावन हजार)
5	21-सामग्री और आपूर्ति	01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	1000000 (दस लाख)	0 (शून्य)	1000000 (दस लाख)
6	20-अन्य प्रशासनिक व्यय	03-प्रशिक्षण व्यय	500000 (पाँच लाख)	0 (शून्य)	500000 (पाँच लाख)
7	51-मोटर वाहन	01-मोटर गाड़ी-कार्यालय	18600000 (एक करोड़ छियासी लाख)	0 (शून्य)	18600000 (एक करोड़ छियासी लाख)

8.	52-मशीनरी एवं उपस्कर	02-मशीने एवं उपस्कर-अन्य	7000000 (सत्तर लाख)	0 (शून्य)	7000000 (सत्तर लाख)
	कुल योग		103097000 (दस करोड़ तीस लाख सनतानवे हजार)	36600000 (तीन करोड़ छियासठ लाख)	139697000 (तेरह करोड़ छियानवे लाख सनतानवे हजार)

- उक्त आवंटन समादेष्टा, एस0डी0आर0एफ0 के पत्रांक 14 दिनांक 08.01.2019 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, वर्दी /पोशाक आदि मदों में व्यय आवश्यकता को देखते हुए ही किया जाय तथा मितव्ययिता बरती जाय। यात्रा विपत्रों का भुगतान करते समय बिहार यात्रा भत्ता नियमावली का पालन किया जाय।
- किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति, उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस विभाग को शीघ्र भेज दिया जाय।
- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक-17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरत पत्र के माध्यम से विभाग को सूचित किया जाय।
- इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश-से

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक- 1/2/19

ज्ञापांक- 80 / आ0प्र0,

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक- 1/2/19

ज्ञापांक 80 / आ0प्र0

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक- 1/2/19

ज्ञापांक 80 / आ0प्र0

प्रतिलिपि: आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

पटना-15, दिनांक- 1/2/19

ज्ञापांक 80 / आ0प्र0

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/ प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

